

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प-सोरण में पेश हुयी। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण एक वर्ष से भी अधिक अवधि से न्यायालय में विचाराधीन है, किन्तु अभी तक सभी पक्षकारों की तलबी कराने में प्रार्थी असफल रहा है। प्रकरण में अब प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद में शामिल की जावे।

(पिकी मीणा)

आरएस

उपखण्ड अधिकारी, टोंक
लोक अदालत केम्प-सोरण